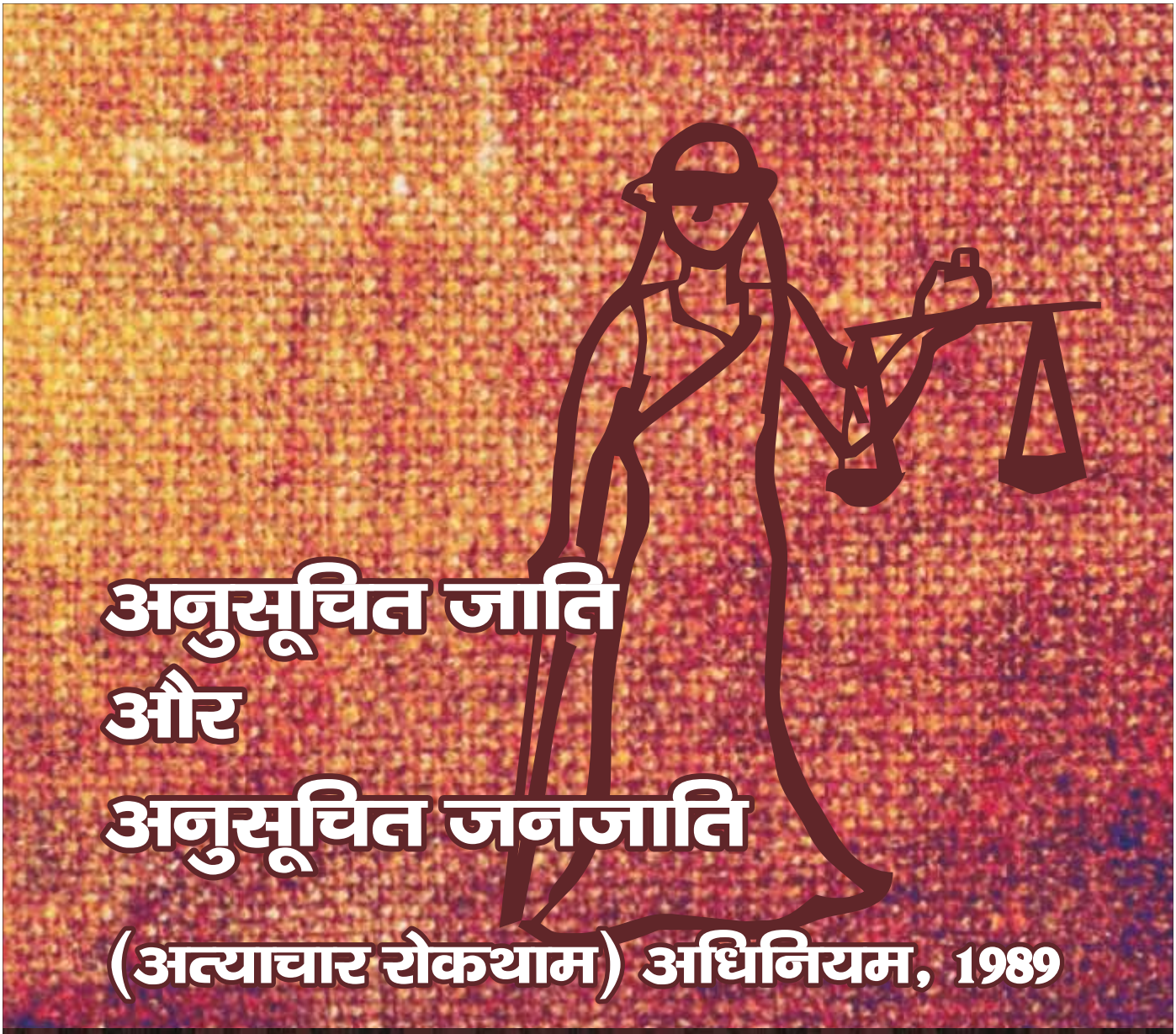

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989

प्रमुख प्रावधानों की जागरूकता हेतु पुस्तिका

actionaid

दिसम्बर, 2013

संकलन एवं सम्पादन
अवंतिका श्रीवास्तव
अजय शर्मा
मनीषा भाटिया

सम्पादन सहयोग
देबब्रत पात्रा
अरविन्द कुमार

चित्रांकन
गणेश चंद्र डे

प्रकाशक
रिसोर्स सेन्टर, एक्शनएड, लखनऊ।

सहयोग : DFID/IPAP

सीमित वितरण हेतु

प्राक्कथन

हमारा देश प्रभुतासम्पन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत का संविधान आजादी, न्यायप्रिय गरिमापूर्ण जीवन जीने पर बल देता है। संविधान में महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, इनके जीवन स्तर को सुधारने व समानता दिलाने के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति पर लगातार हो रहे अत्याचार को रोकने व उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूर्व में बहुत सारे कानून व अधिनियम बनाये गये, परन्तु यह सभी सही रूप में अमल में नहीं लाये गये। इन बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारों की रक्षा और अत्याचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया। इन कानून का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के साथ होने वाले अत्याचार व भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम में समय–समय पर आवश्यक संशोधन भी किया गया। इस अधिनियम से लाभ लेने के लिए और इसका सही रूप से उपयोग करने के लिए इसके प्रमुख प्रावधानों की अद्यतन जानकारी व समझ अत्यंत आवश्यक है।

इस पुस्तिका के माध्यम से हमारी कोशिश है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा से सम्बन्धित प्रमुख कानून (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989) व प्रावधानों और इससे सम्बन्धित दण्ड और मुआवजे को सरल व स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया जाए, जिससे समुदाय के लोगों, जन–संगठनों और कार्यकर्ताओं को मदद मिले और लोग अपने अधिकारों को हासिल कर सकें।
इसी उम्मीद के साथ...

एक्शनएड टीम, लखनऊ।

विषय-क्रम

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अर्न्तगत

अपराध, जिनमें 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है	1—4
अपराध, जिनमें 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है	5—6
अपराध जिनमें आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने का प्रावधान है	6—7
सरकार एवं न्यायालय के दायित्व	7—9
पीड़ित के अपंग होने पर मुआवजा	9—10

नोट : प्रस्तुत पुस्तिका में दी गई सूचना उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 14 मई 2012 को निर्गत शासनादेश (संख्या— 827/26—3—2012—4 (256)/9) पर आधारित है।

ऐसे अपराध जिनमें 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है

धारा 3 (1)i

अपराध : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अखाद्य, घृणाजनक अथवा गंदे पदार्थ पीने या खाने के लिए बाध्य करना।

धारा 3(1)ii

अपराधः अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपमानित अथवा परेशान करने की दृष्टि से उसके परिसर या पड़ोस में मलमूत्र, कूड़ा करकट, पशुओं के शव या कंकाल अथवा कोई अन्य गंदे पदार्थ फेंकना।

धारा 3(1)iii

अपराधः अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारना, या उसे नंगा करके, उसके चेहरे या शरीर के किसी हिस्से को पोतकर घुमाना या मानव की गरिमा के विरुद्ध ऐसा ही कोई अन्य कार्य करना।

मुआवजा : उपरोक्त धाराओं **3(1)**i, ii, iii में प्रत्येक पीड़ित को अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए 60,000/– रूपये या उससे अधिक और पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनादर, अपमान, क्षति तथा मानहानि सहने के अनुपात में भी होगा।

दिया जाने वाला भुगतान इस प्रकार होगा :– 25 प्रतिशत जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाए। शेष 75 प्रतिशत जब निचले न्यायालयों द्वारा दोष सिद्ध ठहराया जाए।

धारा 3(1)iv धारा 3(1)v

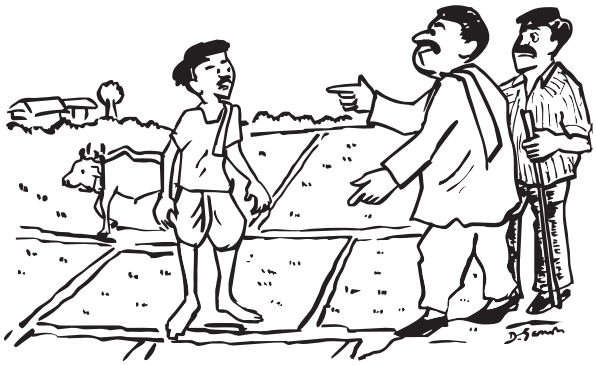

अपराध : किसी सदस्य के स्वामित्व वाली अथवा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्ज़ा करना या उस आवंटित भूमि को गलत तरीके से अपने अधिकार में लेकर उस पर खेती करना, उसकी भूमि या परिसर पर अथवा किसी भी भूमि, परिसर, जल स्रोत पर उसके नैसर्गिक अधिकारों का हनन करना।

मुआवजा : अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए कम से कम 60,000/– रूपये या उससे अधिक भूमि/परिसर/जल की आपूर्ति जहाँ आवश्यक हो, सरकारी खर्च पर पुनः वापस की जायेगी। जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाए पूरा भुगतान किया जाए।

धारा 3(1)vi

अपराध : किसी को बेगार, बलात् श्रम या बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर करना।

मुआवजा : पीड़ित व्यक्ति को कम से कम 60,000/– रूपए, प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज होने पर 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत निचले अदालत में दोष सिद्ध होने पर।

धारा 3(1)vii

अपराध : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मताधिकार का प्रयोग करने से रोकना अथवा किसी के पक्ष में जबरन मतदान करने के लिए मजबूर करना।

मुआवजा : प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 50,000/– रूपए तक जो अपराध के स्वरूप और गंभीरता पर निर्भर है।

धारा 3(1)viii

अपराध : किसी के खिलाफ झूठी, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली कानूनी कार्रवाई करना।

मुआवजा : 60,000/– रूपये या वास्तविक विधिक व्यय और क्षति की प्रतिपूर्ति या अभियुक्त के विचारण (न्यायिक सुनवाई) की समाप्ति के पश्चात् जो भी कम हो।

धारा 3(1)ix

अपराध : सरकारी तंत्र को ऐसी सूचना देना जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आर्थिक नुकसान अथवा मानसिक पीड़ा भुगतनी पड़े।

मुआवजा : 60,000/– रूपये या वास्तविक विधिक व्यय और क्षति की प्रतिपूर्ति या अभियुक्त के विचारण की समाप्ति के पश्चात् जो भी कम हो।

धारा 3(1)x

अपराध : अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, दुखी करना या नीचा दिखाना।

मुआवजा : अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 60,000/– रूपये तक, 25 प्रतिशत उस समय जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाए और शेष दोष सिद्ध होने पर।

धारा 3(1)xi

अपराध : किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला पर हमला करना, अपमानित करना अथवा उसे लज्जित करना।

धारा 3(1)xii

अपराध : किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला का यौन शोषण करना।

मुआवजा : धारा 3(1)xi एवं xii में अपराध के प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 1,20,000/–

रूपए, चिकित्सा जांच के पश्चात् 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाए और शेष 50 प्रतिशत का विचारण की समाप्ति पर भुगतान किया जाए।

धारा 3(1)xiii

अपराध : किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले जलस्रोत को प्रदूषित करना।

मुआवजा : 2,50,000/– रूपए तक जब पानी को गन्दा कर दिया जाए तो उसे साफ करने सहित या सामान्य सुविधा को पुनः बहाल करने की पूरी लागत। उस स्तर पर जिस पर जिला प्रशासन द्वारा ठीक समझा जाए भुगतान किया जाए।

धारा 3(1)xiv

अपराध : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश न करने देने के इरादे से रास्ता रोकना।

मुआवजा : 2,50,000/– रूपए तक या मार्ग के अधिकार को पुनः बहाल करने की पूरी लागत और जो नुकसान हुआ है, यदि कोई हो, उसका पूरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत जब आरोप–पत्र न्यायालय को भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर।

धारा 3(1)xv

अपराध : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को गांव या शहर स्थित उनका निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना।

मुआवजा : स्थल बहाल करना। ठहरने का अधिकार और प्रत्येक पीड़ित को 60,000/– रूपये का प्रतिकार तथा सरकार के खर्च पर मकान का पुनर्निमाण, यदि नष्ट किया गया हो, पूरी लागत का भुगतान जब निचले न्यायालय में आरोप–पत्र भेजा जाए।

ऐसे अपराध जिनमें 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है

धारा 3(2) i और ii

अपराध : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ चल रहे मुकदमों में जानबूझ कर ऐसी झूठी गवाहियां देना जिनसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को सज़ा मिल जाए।

मुआवजा : कम से कम 2,50,000/– रूपए या उठाए गए नुकसान या हानि का पूरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप–पत्र न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले अदालत द्वारा दोष सिद्ध होने पर।

धारा 3(2)iii

अपराध : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की संपत्ति (घर, धार्मिक स्थल या गोदाम के अलावा) को आग और विस्फोटक सामग्री द्वारा जानबूझ कर नुकसान पहुंचाना, या ऐसा करने का प्रयास करना।

धारा 3(2)vi

अपराध : जानबूझ कर सबूतों को नष्ट करना अथवा किसी मामले में गलत सूचना देना।

मुआवजा : धारा 3(2)iii, 3(2)vi के अन्तर्गत अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को या उसके आश्रित को कम से कम 1,20,000/– रूपए यदि अनुसूची में विशिष्ट, अन्यथा प्रावधान किया हुआ हो तो इस राशि में अन्तर होगा।

धारा 3(2)vii

अपराध : सेवक (सरकारी कर्मचारी) द्वारा उत्पीड़न करना।

(कम से कम 1 साल की सज़ा)

धारा 4

अपराध : ऐसे लोक सेवक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोक सेवक को छोड़कर) जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति कानूनी कर्त्तव्यों का निर्वाह नहीं करते

मुआवजा : धारा 3(2)vii एवं **धारा 4** में उठाई गई हानि या नुकसान का पूरा प्रतिकर। 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत का भुगतान जब निचले न्यायालय में दोष सिद्ध हो जाए, किया जायेगा।

ऐसे अपराध जिनमें आजीवन कारावास की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है

धारा 3(2)i

अपराध : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ चल रहे मुकदमों में जान बूझकर झूठी गवाही देना ताकि उस व्यक्ति को सज़ा मिल जाए। (यदि ऐसी झूठी गवाही से किसी को मृत्युदण्ड मिलता है तो ऐसे अपराध की सज़ा भी मृत्युदण्ड होगी।)

मुआवजा : 2,50,000 रुपये अथवा नुकसान की पूरी भरपाई जो भी अधिक हो। 50 प्रतिशत का भुगतान न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किये जाने के बाद और 50 प्रतिशत न्यायालय द्वारा सज़ा सुनाने पर।

धारा 3(2)iv

अपराध : किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य के निवास या सामान रखने के स्थान को जानबूझकर आग या विस्फोटक सामग्री द्वारा नुकसान पहुंचाना।

मुआवजा : कम से कम 1,20,000 रुपये तक।

धारा 3(2)

अपराध : भारतीय दण्ड संहिता–1860 (45) के तहत किसी व्यक्ति या उसकी जायदाद के खिलाफ किये गये अपराध के लिए 10 साल या उससे अधिक कारावास का प्रावधान है।

मुआवजा : कम से कम 1,20,000 रुपये तक।

सरकार एवं न्यायालय के दायित्व

धारा 7 : मुकदमे के दौरान न्यायालय संपत्ति जब्त कर सकता है और अपराध का दोषी पाये जाने पर संपत्ति कुर्क करने के आदेश दे सकता है।

धारा 10/11 : न्यायालय ऐसे व्यक्ति को जिसके अपराध में लिप्त होने की संभावना हो उसे उसके स्थान से हटाने या बंदी बनाने का आदेश जारी कर सकता है।

धारा 14/15 : मामले के जल्दी निपटारे के लिए सरकार विशेष न्यायालयों और विशेष लोक अभियोजकों यानी स्पेशल पब्लिक प्रोसीकयूटर्स की नियुक्ति कर सकती है।

धारा 16 : राज्य सरकार दोषी लोगों या ग्रामीणों पर सामूहिक जुर्माना कर सकती है।

धारा 18 : अभियुक्तों को अग्रिम जमानत देने की व्यवस्था नहीं है।

नियम 3 : सरकार किसी भी क्षेत्र को अत्याचार–प्रवृत्त घोषित कर सकती है और उसके लिए जरूरी एहतियाती कदम उठा सकती है। जैसे, गैर–दलितों के आग्नेय अस्त्रों के लाइसेंस रद्द कर सकती है, गैर–कानूनी अस्त्रों को जब्त कर सकती है, दलितों को आग्नेय अस्त्र मुहैया करा सकती है, राज्य स्तरीय निगरानी समिति गठित कर सकती है, गैर–सरकारी संगठनों का सहयोग प्राप्त कर सकती है और क्षेत्र में विशेष पुलिस दलों की तैनाती कर सकती है।

नियम 5 : सभी थानों पर थानाध्यक्षों द्वारा शिकायतें दर्ज की जाएंगी तथा शिकायतकर्ता को पढ़ कर सुनाई जाएंगी। शिकायत की एक कॉपी शिकायतकर्ता को बिना कोई शुल्क लिए दी जाएगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो पुलिस अधीक्षक को इस आशय की रिपोर्ट दी जा सकती है, जो इस रिपोर्ट के आधार पर या तो स्वयं मामले की तहकीकात करेंगे अथवा उप पुलिस अधीक्षक अथवा उससे ऊंचे पद के किसी पुलिस अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी देंगे। पुलिस अधिकारी किसी भी थानाध्यक्ष को थाने की शिकायत डायरी में शिकायत दर्ज करने के लिए आज्ञा दे सकते हैं।

नियम 6 : किसी भी अत्याचार की घटना की जानकारी प्राप्त करने के बाद, जिला मजिस्ट्रेट और उप जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक अथवा उप पुलिस अधीक्षक निम्नलिखित कार्य करेंगे:

- तुरंत मुआयना करने के लिए घटनास्थल पर जायेंगे।
- पीड़ितों और मुआवजा प्राप्त करने के लिए उनके आश्रितों, परिवार के सदस्यों की

लिस्ट बनायेंगे।

- अत्याचार और उससे हुए जानमाल के नुकसान की रिपोर्ट तैयार करेंगे।
- पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा के लिए पुलिस की गश्त का बंदोबस्त करेंगे।
- भोजन, पानी, कपड़ों, शरणगृहों, चिकित्सा सुविधाओं, यातायात के लिए वाहनों, नगदी आवंटित करने के लिए कृषि भूमि और आवास के लिए भूखंडों, सरकारी रोज़गार, पेंशन, घरों, बिजली, दाह भूमि और सड़कों का बंदोबस्त करेंगे।

नियम 7 : जांच पड़ताल का कार्य किसी उप पुलिस अधीक्षक से कम पद के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। जांच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट 30 दिन के अंदर पूरी कर लेनी चाहिए।

नियम 8 : राज्य सरकार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना करनी चाहिए। इसका प्रमुख कोई पुलिस निदेशक अथवा महानिरीक्षक के दर्जे का अधिकारी होना चाहिए।

नियम 9 : राज्य सरकार किसी सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी। बेहतर हो यदि ऐसा अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो। यह अधिकारी जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षक अथवा उनके द्वारा अनुशंसित अधिकारियों की निगरानी करेगा और सुनिश्चित करेगा कि उनके द्वारा इस अधिनियम की धाराओं के तहत सहायता और पुनर्वासन कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
उप जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से कम का अधिकारी विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। विशेष अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों के बीच समन्वयक का कार्य करेगा।

नियम 10 : विशेष अधिकारी, अत्याचार के शिकार व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति टालने के लिए आवश्यक उपाय करने तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय करके कार्यशालाओं के संचालन व केन्द्रों के रखरखाव हेतु

आवश्यक सुविधाएं, वित्तीय सहायता और अन्य सहयोग देने का कार्य करेगा।

नियम 11 : अत्याचार के शिकार प्रत्येक व्यक्ति को, उसके आश्रितों और साथियों को अधिनियम के अधीन अपराध की जांच पड़ताल या सुनवाई के लिए यात्रा करने के लिए उनके आवास अथवा ठहरने के स्थान से एक्सप्रेस मेल रेलगाड़ी में द्वित्तीय श्रेणी का आने जाने का रेलभाड़ा अथवा बस या टैक्सी का वास्तविक भाड़ा दिया जायेगा। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के मामले में उपरोक्त खर्चे के साथ उसके साथ आने वाले व्यक्ति का भी खर्चा दिया जाएगा।

नियम 15 : राज्य सरकार कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए आदर्श योजना बनाएगी जिसमें :

क) तात्कालिक नकद या अन्य प्रकार की सहायता का प्रावधान होगा।
ख) कृषि भूमि तथा आवासीय भूमि के आवंटन की व्यवस्था होगी।
ग) पुनर्वास पैकेज बनाया जायेगा।
घ) पीड़ित व्यक्ति के परिवार के किसी एक व्यक्ति के लिए सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी संस्थान में रोज़गार व्यवस्था की जाएगी।
च) विधवाओं, मृतक की आश्रित संतानों, विकलांगों या अत्याचार से पीड़ित वृद्ध लोगों के लिये पेंशन की व्यवस्था होगी।
झ) पीड़ितों के लिए आवश्यक रूप से मुआवज़े की व्यवस्था होगी।
ज) पीड़ितों को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की योजना होगी।
छ) पीड़ितों के लिए ईंटों अथवा पत्थर के मकान बनाने का प्रावधान होगा।
ट) अन्य आवश्यक सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, बिजली, पीने का पानी, श्मशान घाट निर्माण तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के आवासीय स्थलों तक सड़क बनाना आदि।

यदि कोई दलित पीड़ित अपंग हो जाता है तो उसको दिया जाने वाला मुआवज़ा

अ) कमाई न करने वाले 100 प्रतिशत अपंग हो गये दलित के लिए

न्यूनतम मुआवज़ा : अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 2,50,000 रूपए, 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिर्पोट पर और 25 प्रतिशत आरोप पत्र पर और 25 प्रतिशत निचले अदालत द्वारा दोष सिद्ध होने पर।

ब) कमाई करने वाले 100 प्रतिशत अपंग हो गए दलित के लिए

मुआवजा : अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 5,00,000 रूपए, 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिर्पोट/चिकित्सा जांच पर भुगतान किया जाए और 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाए तथा 25 प्रतिशत निचले अदालत में दोष सिद्ध होने पर।

100 प्रतिशत से कम अपंग के लिए : उपर्यक्त (अ) और (ब) में निर्धारित दरों को उसी अनुपात में कम किया जायेगा, भुगतान के चरण भी वही रहेंगे। तथापि न कमाने वाले सदस्य को 40,000/– रूपये से कम नहीं और परिवार के कमाने वाले सदस्य को 80,000/– से कम नहीं होगा।

कमाई न करने वाले की हत्या के लिए : प्रत्येक मामले में कम से कम 2,50,000/– रूपए। 75 प्रतिशत पोस्टमार्टम के पश्चात् और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर।

कमाई करने वाले की हत्या के लिए : प्रत्येक मामले में कम से कम 5,00,000/– रूपए। 75 प्रतिशत का भुगतान पोस्टमार्टम के पश्चात् और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर।

हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्कार, स्थायी अपंगता और डकैती के लिए उपरोक्त मुआवज़ों के अलावा, निम्नलिखित मुआवज़ा 3 महीनों के भीतर दिया जाना चाहिए:

- ❖ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को 3000/– रूपए प्रति मास की दर से या मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार या कृषि भूमि, एक मकान यदि आवश्यक हो तो तत्काल खरीद द्वारा।
- ❖ पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा और उनके भरण–पोषण का पूरा खर्चा/बच्चों को आश्रम स्कूलों/आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जाए।
- ❖ तीन माह की अवधि तक बर्तनों, चावल, गेंहूं, दालों, दलहनों आदि की व्यवस्था।

घरों/मकानों के विनाश पर : जहाँ मकान को जला दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो। वहाँ सरकारी खर्च पर ईट पत्थर के मकान का निर्माण किया जाए या उसकी व्यवस्था की जाए।

★★★

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
पाँचवी मंजिल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली – 10003
फोन : 011 – 24632298
टोल फ्री हेल्पलाइन न0 : 1800118888

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, उत्तर प्रदेश
पाँचवी मंजिल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर – एच
अलीगंज, लखनऊ– 226024
फोन : 0522–2330288 फैक्स– 2323860

अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग
इन्दिरा भवन, दसवाँ तल
अशोक मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0
फोन0 0522– 2287231, 2288596

एक्शनएड के बारे में ...

एक्शनएड 1972 से भारत में गरीबों के साथ काम कर रहा है। हमारा लक्ष्य गरीबी को खत्म करना है। हम जानते हैं कि सही अवसर मिलने पर गरीब लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही निकाल लेंगे।

एक्शनएड गरीबों और अशक्त लोगों के साथ 1972 से काम कर रहा है। हम भारत के 24 राज्यों तथा एक संघ शासित प्रदेश में 8 करोड़ लोगों के साथ काम करते हैं। हम गरीबी, असमानता और अन्याय के खिलाफ स्थानीय गैर–सरकारी संगठनो, समुदाय आधारित संगठनों और जन आंदोलनों के साथ मिलकर सामूहिक पहल करते हैं।

हमारा काम भारत के सबसे अधिक वंचित समुदायों, दलित, मूल निवासी, ग्रामीण व शहरी गरीब, महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों जैसे के अधिकारों पर केन्द्रित है। इन समुदायों का संसाधनों, सेवाओं, तथा संस्थानों तक पहुंच और नियंत्रण नहीं है।

हम अभिवंचित परिस्थितियों जैसे चिरकालिक भूख, विकलांगता, पलायन, बंधुआ मजदूर, बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, शहरों में आश्रय विहीन और वो लोग जिनकी भूमि या आजीविका खतरे में है ऐसे लोगो पर विशेष ध्यान देते हैं। हम उन महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों और लड़कों के साथ भी काम करते हैं जो तस्करी का शिकार हैं तथा विस्थापित हैं या प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाओं से पीड़ित हैं।

actionaid

Lucknow Regional Office:
3/545, IInd Floor, Sai Plaza Building,
Vivek Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
Telephone: (0522) 4113494, 4113495, 4113499

India Country Office:
R-7, Hauz Khas Enclave, New Delhi-110016,
Tel: +91-11-40640500 Fax: +91-11-41641891

International head office:
Post Net Suit #248, Private Bag X 31,Saxonwold 2132, Johannesburg
South Africa. http//www.actionaid.org

Website: http//www.actionaid.org/india

Printed at : aadharcommunication # 9935978495